राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक–सीआरओ/राआम/2022–23/36 दिनांक :- 31-05-2022

कार्यालय आदेश

नीलामी के उन सभी प्रकरणों में जिनकी राशि जमा कराने की तिथि 15.03.2020 के पश्चात् की थी, उनकी तिथि पूर्व में मण्डल के आदेश क्रमांक–सीआरओ/राआम/2020–2021/162 दिनांक 07.10.2020, क्रमांक–सीआरओ/राआम/2020–2021/168 दिनांक 09.10.2020 एवम् क्रमांक–वसूली/राआम/2020–2021/71/498 दिनांक 26.10.2020 से दिनांक 31.12.2020 तक बढायी गयी थी।

नीलामी के उन सभी प्रकरणों में जिनकी राशि जमा कराने की तिथि 15.03.2020 के पश्चात् की थी उनकी 35 प्रतिशत राशि की तिथि 31.03.2021 तक एवम् शेष 50 प्रतिशत राशि की तिथि 30.06.2021 तक जमा कराने की छूट मण्डल के आदेश क्रमांक–सीआरओ/राआम/2020–2021/311 दिनांक 10.03.2021 व कार्यालय आदेश क्रमांक–SPL-1 दिनांक 07.05.2021 द्वारा नीलामी से संबंधित प्रकरणों में 35 प्रतिशत राशि दिनांक 30.06.2021 एवं 50 प्रतिशत राशि दिनांक 30.09.2021 तक जमा कराने की छूट प्रदान गई थी एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक–प.17(10)नविवि/नियम/2019 दिनांक 01.11.2021 द्वारा नीलामी से संबंधित प्रकरणों में भूखण्डों की 35 प्रतिशत राशि दिनांक 31.12.2021 एवं शेष 50 प्रतिशत राशि दिनांक 31.03.2022 तक जमा कराने की छूट प्रदान की गई थी।

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक–प.17(10)नविवि/नियम/2019 दिनांक 26.04.2022 के अनुसार नीलामी के जिन प्रकरणों में भूखण्डों की 50 प्रतिशत राशि जमा कराने की दिनांक 15.03.2020 के पश्चात् की निर्धारित है, ऐसे प्रकरणों में भूखण्डों की शेष 50 प्रतिशत राशि दिनांक 30.09.2022 तक जमा कराने की अंतिम बार छूट प्रदान की जाती है।

उक्त आदेशानुसार पूर्व में निस्तारित प्रकरणों को पुनः नही खोला जावेगा व जमा राशि पुनः लौटाई नही जावेगी।

(पवन अरोड़ा)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता–मुख्यालय/प्रथम/द्वितीय, राज. आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सचिव–सचिव/वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा.आ.म., जयपुर/जोधपुर।
5. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी–––––––––––––––––––––, रा.आ.मं. जयपुर।
8. उप आवासन आयुक्त, वृत्त–––––––––––, रा.आ.मं.,–––––––––––––––।
9. आवासीय अभियन्ता, खण्ड–––––––––––––रा.आ.मं.,–––––––––––––।
10. जन सम्पर्क अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
11. संयुक्त निदेशक (सिस्टम एनालिस्ट), रा.आ.मं., जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेशों को मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड कर समस्त अधिकारियो को ई–मेल करने का श्रम करें।
12. रक्षित पत्रावली।

उप वित्तीय सलाहकार

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

26 APR 2022

क्रमांकः–प.17(10)नविवि/नियम/2019 जयपुर, दिनांकः

–: आदेश :–

विभागीय आदेश क्रमांक प.3(212)नविवि/2011 पार्ट दिनांक 30.09.2020 द्वारा दिनांक 01.05.2020 के बाद नीलामी के भूखण्डों में 240 व 360 दिन में राशि जमा कराने की छूट एवं नीलामी के जिन प्रकरणों में भूखण्डों की राशि जमा कराने की दिनांक 15.03.2020 के पश्चात की निर्धारित है उन प्रकरणों में 35 प्रतिशत राशि दिनांक 31.12.2020 तक एवं 50 प्रतिशत राशि 31.03.2021 तक जमा कराने की छूट प्रदान की गई, जिसे बाद में विभागीय आदेश क्रमांक प.17(10)नविवि/।।/2019 दिनांक 19.01.2021 द्वारा क्रमशः 31.03.2021 एवं 30.06.2021 तक, आदेश दिनांक 04.06.2021 द्वारा क्रमशः 30.06.2021 एवं 30.09.2021 तक एवं आदेश दिनांक 01.11.2021 द्वारा क्रमशः 31.12.2021 एवं 31.03.2022 तक बढाया गया।

राज्य सरकार में सक्षम स्तर पर लिये गये निर्णय अनुसार नीलामी के जिन प्रकरणों में भूखण्डों की 50 प्रतिशत राशि जमा कराने की दिनांक 15.03.2020 के पश्चात की निर्धारित है, ऐसे प्रकरणों में भूखण्डों की शेष 50 प्रतिशत राशि दिनांक 30.09.2022 तक जमा कराने की अंतिम बार छूट प्रदान की जाती है।

उक्त आदेश तुरन्त प्रवृत होगा किन्तु पूर्व में निस्तारित प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जावेगा व जमा राशि पुनः लौटाई नहीं जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
7. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग जयपुर।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
9. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त, राजस्थान।
10. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नविवि।
11. उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग।
12. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

Scanned with CamS